राजस्थान सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः एफ–1(2) मेडि.तक./टीआरआई/2018–19/1372-97 दिनांकः 09-07-2018

विज्ञप्ति

अनुसूचित क्षेत्र (TSP), माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी क्षेत्र के मूल जनजाति छात्र/छात्राओं के लिये चिकित्सा एवं तकनीकी (NEET/IIT) परीक्षा पूर्व निःशुल्क (फीस राशि पुनर्भरण) योजना में ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ।

शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP), माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी क्षेत्र के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं को चिकित्सा एवं तकनीकी (NEET/IIT) परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग (फीस राशि पुनर्भरण) योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2018-19) लिंक पर आमंत्रित करने, संस्थान द्वारा आवेदन स्वीकृति सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.स	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियॉ
1	योजना का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं सत्यापन/अनुमोदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि।	आवेदन प्रारम्भ हो चुका है।
2	विद्यार्थियों के द्वारा योजनाओ हेतु पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि।	20 अगस्त, 2018
3	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को आवेदन–पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी करना, अपूर्ण आवेदन–पत्र को (यदि कोई हो तो) विद्यार्थियों को प्रति–प्रेषित (पुनः फारवर्ड) करने की अन्तिम तिथि।	15 सितम्बर, 2018
4	स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को संस्थान द्वारा जॉच उपरान्त ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित करने की अन्तिम तिथि।	24 सितम्बर, 2018
5	पारितशुदा बिलों की राशि विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित करने/करवाने की अन्तिम तिथि।	30 सितम्बर, 2018

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया हेतु विद्यार्थियों के लिए विस्तृत विवरण विज्ञापन/दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निदेशक

राजस्थान सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,

अशोक मेन रोड़, उदयपुर (राज.) 313001

क्रमांकः एफ–1(2) मेडि.तक./टीआरआई/2018–19/1372–97 दिनांकः 09–07–2018

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में जारी शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं के परिपत्र कमांक 18470–80 दिनांक 27–06–2017 की निरन्तरता में शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP), माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी क्षेत्र के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं को चिकित्सा एवं तकनीकी (NEET/IIT) परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग (फीस राशि पुनर्भरण) योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2018-19) लिंक पर आवेदन आमंत्रित करने, संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त ऑन लाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच उपरान्त स्वीकृति जारी कर स्वीकृतशुदा आवेदन पत्रों का संबंधित विद्यार्थियों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में राशि जमा कराना तथा आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (FORWARD) के लिये निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.स	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियॉ
1	योजना का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं सत्यापन/अनुमोदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि।	आवेदन प्रारम्भ हो चुका है।
2	विद्यार्थियों के द्वारा योजनाओ हेतु पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि।	20 अगस्त, 2018
3	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को आवेदन–पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी करना, अपूर्ण आवेदन–पत्र को (यदि कोई हो तो) विद्यार्थियों को प्रति–प्रेषित (पुनः फारवर्ड) करने की अन्तिम तिथि।	15 सितम्बर, 2018
4	स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को संस्थान द्वारा जॉच उपरान्त ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित करने की अन्तिम तिथि।	24 सितम्बर, 2018
5	पारितशुदा बिलों की राशि विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित करने/करवाने की अन्तिम तिथि।	30 सितम्बर, 2018

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में पेपरलेस ऑन लाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए दिशा–निर्देश :–

(अ) (NEET/IIT) परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग (फीस राशि पुनर्भरण) योजना हेतु :–

1. योजनाओं में जिनके माता–पिता या अभिभावक आयकरदाता नही हो, उनके परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगे।
2. ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन को ऑनलाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाऍ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा, जैसे– भामाशाह कार्ड, आधार नम्बर, आय की घोषणा, मूल निवास प्रमाण–पत्र, कक्षा 10वीं की अंक तालिका, गत अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की रसीद आदि।
3. आय घोषणा–पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही बनवाकर मूल ही स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। माता–पिता जीवित होने की स्थिति में उनका स्वयं का/माता–पिता के जीवित नही होने की स्थिति मे अभिभावक का आय प्रमाण–पत्र व विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा

आय की घोषणा की जायेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय–प्रमाण पत्र स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।

4. विद्यार्थियों से सम्बन्धित आधारभूत सूचनाएँ जैसे– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आवेदक के शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक आवेदक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन आवेदक स्वयं द्वारा करवाया जाना आवश्यक होगा।

5. विद्यार्थी की प्रोत्साहन राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नही होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरित करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड आदि अंकित करवाना अनिवार्य होगा।

6. विद्यार्थी को कोचिंग संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानीपूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत कोचिंग संस्थान, पाठ्यक्रम अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वय जिम्मेदार होगा।

7. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम 7 (सात) दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी 7 (सात) दिवस में आक्षेप की पूर्ति नही करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

8. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP), माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी क्षेत्र के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं 12वीं (विज्ञान) परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण जनजाति के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता/अभिभावक आयकर दाता नहीं हो, को निम्नानुसार स्थानों पर स्थित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

क्र. सं	कोचिंग संस्था का नाम	
	(1) कोटा स्थित संस्थाएं	उपयोजना क्षेत्र (टीएसपी) के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु।
I	रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., जे–2, जवाहरनगर, मेन रोड़, कोटा	
II	ऐलन केरियर इंस्टीट्युट "संकल्प भवन" सी.पी.–6, इन्द्र विहार, कोटा	
III	केरियर पॉइन्ट, सी.पी. टॉवर, रोड़ नम्बर–1, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा	
	(2) उदयपुर स्थित संस्थाएं	
I	ऐसेन्ट केरियर पोईन्ट, 387–388, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर–3, उदयपुर	
II	एम.के. जैन क्लासेज, 7, दुर्गानर्सरी रोड, उदयपुर	

क्र. सं	संस्था का नाम	
	(1) कोटा स्थित संस्थाएं : **सी.ई.ओ, जिला परिषद, कोटा का पत्रांक : 262 दिनांक 23–08–2017 (09/सी)**	**माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु।**
I	रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., जे–2, जवाहरनगर, मेन रोड़, कोटा	
II	ऐलन केरियर इंस्टीट्युट "संकल्प भवन" सी.पी.–6, इन्द्र विहार, कोटा	
III	केरियर पॉइन्ट, सी.पी. टॉवर, रोड़ नम्बर–1, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा	
IV	मोशन आईआईटी, कोटा	
V	आकाश कोचिंग इंस्टीट्युट, कोटा	
VI	इन्फाइनाईट कोचिंग, कोटा	
VII	एस्पायर कोचिंग इंस्टीट्युट, कोटा	
VIII	सर्वोत्म केरियर इंस्टीट्युट, कोटा	

	(2) उदयपुर स्थित संस्थाएं : **ए.सी.ई.ओ., जिला परिषद, उदयपुर का पत्रांक : 384 दिनांक 04–09–2017 (12/सी)**	माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु।
I	ऐसेन्ट केरियर पोईन्ट, 387–388, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर–3, उदयपुर	
II	एम.के. जैन क्लासेज, 7, दुर्गानर्सरी रोड, उदयपुर	
	(3) जयपुर स्थित संस्थाएं : **ए.सी.ई.ओ., जिला परिषद, जयपुर का पत्रांक : 2055 दिनांक 11–10–2017 (17/सी)**	
I	निश्चय आईएएस एकेडमी, जयपुर	
II	रेजोनेन्स इन्स्टीट्यूट, जयपुर	
III	ऐलेन केरियर इन्स्टीट्यूट, जयपुर	
IV	इनोवेशन, जयपुर	
V	केरियर पोइन्ट, जयपुर	
vi	आकाश कोचिंग इन्स्टीटयुट जयपुर	
	(4) सीकर स्थित संस्थाएं : **ए.सी.ई.ओ., जिला परिषद, सीकर का मेल दिनांक : 06–10–2017 (18/सी)**	
I	केरियर लाईन कोचिंग, (CLC) "लक्ष्मी निवास" पीपरली रोड़, सीकर	
II	गुरूकृपा करियर इन्स्ट्टीयूट, PMT डिविजन ज्योति नगर पीपरली रोड़, सीकर/जेईई डिविजन हनुमान नगर नवलगढ़ रोड़ सीकर	
III	मेट्रीक्स अकेदमी, अपोजिट रिलाइन्स पेट्रोल पम्प, पीपरली रोड़, जाट कॉलोनी, सीकर	
IV	प्रिन्स करियर पॉइनीयर, पालवास रोड़, सीकर	
V	समर्पण करियर इन्स्ट्टीयूट, पीपरली रोड़, सीकर	
VI	कौटिल्या, पीपरली रोड़, सीकर	

- कोचिंग संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली ''प्रवेश परीक्षा–2018'' में उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले योग्य छात्र/छात्राएं इस हेतु आवेदन के पात्र होंगे।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण कक्षा 12 वीं (विज्ञान) में प्राप्त अंकों की वरियता के आधार पर छात्र/छात्राओं का चयन किया जावेगा।
- पूर्व में इस योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर चुके छात्र/छात्राएं पात्र नहीं होंगे।
- योजना अन्तर्गत संस्थान द्वारा निम्न परिलाभ राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे :

(अ) कोर्स फीस का पुनर्भरण मूल रसीद प्रस्तुत करने पर अधिकतम रुपये 55,000/– (पचपन हजार) देय होंगे।

(ब) प्रतिमाह रुपये 1000/– की छात्रवृत्ति (अधिकतम मार्च, 2019 या 10 माह/जो भी कम हो) कोचिंग संस्था द्वारा जारी 80 प्रतिशत न्यूनतम सीमा तक उपस्थिति प्रमाण–पत्र के आधार पर ।

(स) रुपये 5000/– की सहायता राशि एक मुश्त (पुस्तकें, स्टेशनरी क्रय करने के मूल वाऊचर स्वयं सत्यापित प्रस्तुत करने पर)

(दिनेश चन्द्र जैन)
निदेशक,
टीआरआई, उदयपुर